

अभियान /नकली बोतलबंद पानी की बिक्री पर रोक के लिए आपरेशन थ्रस्ट, 69,000 से अधिक बोतल जब्त

अभियान के दौरान भारतीय रेलवे के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को कवर किया गया ।

[Home](#) >> [Money knowledge](#) >> Operation thrust for the sale of duplicate mineral water bottle

Jul 11,2019 03:38:00 PM IST

नई दिल्ली : रेलवे परिसर में अनधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें धडल्ले से बेचे जाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए "ऑपरेशन थ्रस्ट" नाम से एक देशव्यापी अभियान 08 और 09 जुलाई 2019 को महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के निर्देश पर शुरू किया गया । इसके तहत प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को इन अनधिकृत गतिविधियों पर लगाम लगाने का आदेश दिया गया । अभियान के दौरान भारतीय रेलवे के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को कवर किया गया ।

अभियान में नकली पीने के पानी की कुल 69,294 बोतलें जब्त की गईं

ऑपरेशन थ्रस्ट के दौरान 1371 व्यक्तियों को अनधिकृत ब्रांडों के पानी की बोतलें बेचने के मामले में रेलवे अधिनियम की धारा 144 और 153 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान नकली पीने के पानी की कुल 69294 बोतलें जब्त की गईं और अपराधियों से जुर्माने के तौर पर कुल 6,80,855 रुपए वसूल किए गए । गैर कानूनी बिक्री गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 4 पेंट्री कार प्रबंधकों को भी गिरफ्तार किया गया । प्लेटफार्मों पर लगे स्टॉल में भी ऐसे ब्रांड की पेयजल बोतलें बिकती हुई पाई गईं , जो रेलवे द्वारा अधिकृत नहीं हैं। इन गैर कानूनी गतिविधियों की तह तक पहुंचने के लिए ऐसे मामलों में और जांच की जा रही है और इसमें शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष अभियान के बाद संबंधित पीसीएससी द्वारा आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

Source: <https://money.bhaskar.com/news/MON-DYK-operation-thrust-for-the-sale-of-duplicate-mineral-water-bottle-1562840392.html>